न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 19/2021

बउनवान

चतरभुज पुत्र छीतरलाल, उम्र 60 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी करनाहेडा।

(अपीलांट)

बनाम

1. श्रीमती पारी बाई पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां
2. रामचरण पुत्र प्रभुलाल, जाति मीणा, निवासी करनाहेड़ा, तहसील बारां
3. राजस्थाान सरकार जर्ये तहसीलदार ,बारां

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय प्रकरण सं0 02/2020 बउनवान श्रीमति पारीबाई बनाम चतरभुज वगैरह निर्णय दिनांक 26.02.2021 न्यायालय तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 24.01.2023

अपीलांट द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 26.02.2021 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम वाके माल करनाहेड़ा, के खाता सं. 30 में आराजी खसरा नं. 19 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 28 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 91 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 154 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 156 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 164 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 165 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 166 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 187 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 121 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 224 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 253 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 394 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 404 रकबा 6 बीघा कुल 14 किता 108 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता छीतरलाल के खाते सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज थी। छीतरलाल के देहान्त के पश्चात उक्त आराजी छीतरलाल के पुत्रगण जानकीलाल, चतरभुज व कन्हैयालाल के नाम हो गई। कन्हैयालाल फौत हो चुका है तथा उसके वारिसान मौजूद हैं। छीतरलाल के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं. 91 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट ... नम्बर 95 रकबा 0.34 दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी को अपीलान्ट के पिता के खाते से निकालकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। सिवायचक ... करने के बाद उक्त ... रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व 2 को दिनांक 01.01.2002 को 0.17 हैक्ट. आवंटन कर दी गई। जिसके नम्बर 673/95 दर्ज किये गये जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वर्तमान में दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग की गलती

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

को दुरूस्त करने हेतु अपीलान्ट सहित उसके अन्य वारिसान द्वारा उपखण्ड अधिकारी बारां के यहां वाद क्रमांक 134/2011 पेश किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है परंतु उक्त आराजी खसरा नं. 673/95 रकबा 0.17 हैक्ट. पर अपीलान्ट का कब्जा होने व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होने के कारण उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी आर टी एक्ट प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को तलब करने के उपरान्त उसके द्वारा जवाब दिया जिसमें सभी तथ्यों का समावेश किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेकॉर्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश मौजूदा कानून के विपरीत थे, क्योंकि 183(3) में विधि का यह प्रावधान है कि अगर उक्त भूमि के संबंध में कही कोई वाद विचाराधीन है तो 183 बी के प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही को उक्त वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जावेगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्था न्यायालय का उक्त निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों में साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि मूल रूप से उक्त खसरा नं. 95 के साबिक खसरा नं. 91 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जो कि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी के थे। सेटलमेन्ट विभाग को अपीलान्ट के पिता की खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद भी पेश किया जा चुका था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों को ध्यान में न रखकर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2021 बउनवान मुकदमा पारीबाई बनाम चतरभुज प्रकरण संख्या 2/2020 निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में धारा 183(3) आर. टी. एक्ट में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है। धारा 183(3) आर. टी. एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर भूमि के सम्बन्ध में कहीं कोई वाद विचाराधीन है तो धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही को उक्त वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपीलांट ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद क्रमांक 134/2011 पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:37:10 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खाते में दर्ज आराजीयात पर अपीलांट ने जबरन कब्जा किया जिस पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट की